कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर

क्रमांक :– परि / 18 / 485 दिनांक :– 14.3.18

आदेश

स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.02.2018 को प्रकाशित खबर के अनुसार मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम में जब्त वाहनों की मोबाईल की फोटो के आधार पर प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जिस पर प्रदूषण जांच के प्रभारी झुमर लाल को पंत्राक 354 दिनांक 19.2.2018 जारी कर सात दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया, परन्तु प्रभारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपना प्रत्युतर अद्योहस्ताक्षकर्ता को प्रस्तुत नही किया गया । प्रदूषण जांच केन्द्र को जारी प्राधिकार पत्र की अवधि 10.07.2017 को समाप्त हो चुकी है। राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) 2017 के 4(ii) के अनुसार समयावधि समाप्ति के पश्चात प्राधिकार पत्र स्वतः समाप्त माना जायेगा। परिवहन निरीक्षक द्वारा वक्त चैकिंग वाहन संचालित नहीं होने पर, श्री झुमर लाल से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा भविष्य में मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र का संचालन नहीं करना बताया गया।

अतः मैं प्राधिकृत अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी जोधपुर राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) 2017 के 5(I) के तहत् मैसर्स झुमर लाल मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र जिसका प्राधिकार पत्र समाप्त है, को ब्लैक लिस्टेट करता हूँ।

14/3/18
(ओमप्रकाश चौधरी)
प्राधिकृत अधिकारी एवं
जिला परिवहन अधिकारी,
जोधपुर

क्रमांक :– परि / 18 / 486 – 91 दिनांक :– 14.3.18

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान् अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा / नियम, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. श्रीमान् प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
4. जिला परिवहन अधिकारी प्रथम / द्वितीय, जोधपुर
5. प्रभारी झुमर लाल मैसर्स झुमर लाल मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द, सालोड़ी जिला जोधपुर
6. रक्षित पत्रावली

प्राधिकृत अधिकारी एवं
जिला परिवहन अधिकारी,
जोधपुर

Scanned by CamScanner